न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 155–तीन / 1992 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–3–1992 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 183 / 1984–85 / अपील.

.....

1–कुंवर विरेन्द्रसिंह आत्मज ठा0पर्वतसिंहजी
निवासीग्राम कंचनखेड़ी परगना खाचरोद जिला उज्जैन
2–चंदरसिंग आत्मज श्री सम्मानसिंहजी
निवासी खाचरोड जिला उज्जैन
: भूतपूर्व रिसिवर :

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सुजानमल आत्मज चंपालालजी बकिया मृतक वारिसान :–
निवासी अन्नपूर्णा मार्ग खाचरोद जिला उज्जैन
(ए) श्रीमती राजकुवंर बाई विधवा सुजानमल बुपक्या
निवासी अन्नपूर्णा मार्ग खाचरोद
(बी) अभय कुमार आत्मज सुजानमल बुपक्या
निवासी अन्नपूर्णा मार्ग खाचरोद
(सी) सुधीर कुमार आत्मज सुजानमल बुपक्या
निवासी अन्नपूर्णा मार्ग खाचरोद
(डी) श्रीमती कुसुमबाई पत्नि माणकलालजी पुत्री सुजानमल
निवासी जावरा
(ई) श्रीमती कुमुदबाई पत्नी प्रकाश चन्द पुत्री सुजानमल बुपक्या
निवासी सदरबाजार महीदपुर जिला उज्जैन
(एफ) श्रीमती मन्जू पत्नी बीरेन्द्र जी पुत्री सुजानमल
द्वारा अभयकुमार बुपक्या निवासी अन्नपूर्णा मार्ग खाचरोद
(जी) श्रीमती इन्दू पत्नी अनिलकुमार पुत्री सुजानमल
निवासी नागदा
(एच) श्रीमती संगीता पत्नी मुकेशकुमार पुत्री सुजानमल
निवासी बडनगर
2–श्री तहसीलदार साहब पर0खाचरोद जिला उज्जैन
रिसीव्हर गोपाल मंदिर खाचरोद जिला उज्जैन
3–मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
परगना खाचरोद जिला उज्जैन म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री राजीव गौतम, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(**आज दिनांक** 17/8/16 **को पारित**)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि ग्राम खाचरोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 834 रकबा 0.272 हेक्टेयर गोपाल मंदिर की होकर शासकीय भूमि है जिसमें से 0.136 हेक्टेयर पर अनावेदक कमांक 1 सुजानमल द्वारा फैक्ट्री लगाकर अवैध अतिकमण किया गया है । तहसीलदार द्वारा जॉच कराई जाकर दिनांक 7–12–1979 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर मृत सुजानसिंह का अवैध कब्जा प्रमाणित पाते हुये उसे बेदखल करने के आदेश दिये जाकर 1500/– रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर अन्य निर्देश भी दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–1985 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–3–1992 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा किया जाकर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का अवैध अतिक्रमण नहीं मानने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति में अनावेदक कमांक 1 को किरायेदार मानकर संहिता की धारा 248 लागू नहीं होने संबंधी निष्कर्ष निकालने में भी विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच कराई जाकर अनावेदक कमांक 1 का अवैध अतिक्रमण पाया गया है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के अनावेदक कमांक 1 का अवैध अतिक्रमण नहीं होने संबंधी निष्कर्ष निकाला गया है, जो कि अवैधानिक है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ शासकीय होकर शासकीय मंदिर की भूमियॉ है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये हैं कि प्रकरण में संहिता की धारा 248 के

अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर शासकीय मंदिर की है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–1992 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर